न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– विनित कुमार सुखाड़िया (RAS)

वाद पत्र संख्या :– 50/2020

1. जितेन्द्र कुमार आयु 26 साल आ0 रामकरण जाति धाकड निवासी बोरदामाल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

— वादी

बनाम

1. रामकरण आयु 58 साल आ0 धन्नालाल जाति धाकड निवासी बोरदामाल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. चिमन आयु 22 साल आ0 रामकरण जाति धाकड निवासी बोरदामाल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन
4. लक्ष्मी बाई पुत्री रामकरण जाति धाकड निवासी बोरदामाल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :–

1– वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट
2– प्रतिवादी की और से श्री लक्ष्मीशंकर गुर्जर, एडवोकेट

—::निर्णय::—

दिनांकः 26.07.2021

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 15.07.2020 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आ[illegible]ता संख्या नया 229 व पुराना 221 की कृषि भूमि खसरा संख्या 386 रकबा 0.00 [illegible] सं. 1082 रकबा 2.12 है0, 1096 रकबा 0.41 है0, खसरा सं. 1118 रकबा 0.10 है0 [illegible] किता 4 कुल रकबा [illegible] है0 वाके ग्राम व माल बोरदामाल, पटवार हल्का [illegible] तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विरिथत है। वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2021.08.02 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बैचान करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/3, 1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे।

3. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश कर वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 4 ने अपने जवाब में वर्णित किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि में अपना कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की और से दिनांक 17.03.2021 को आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.03.2021 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या नया 229 व पुराना 221 की कृषि भूमि खसरा संख्या 386 रकबा 0.09 है0, खसरा सं. 1082 रकबा 2.12 है0, 1096 रकबा 0.41 है0, खसरा सं. 1118 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.72 है0 वाके ग्राम व माल बोरदामाल, पटवार हल्का बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2021.08.02 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

(विनित कुमार सुखाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

इजलास – विनित कुमार सुखाड़िया
(आर.ए.एस.)

जितेन्द्र कुमार **v/s** **रामकरण वगै0**

वादः– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 50/2020

वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से श्री लक्ष्मीशंकर गुर्जर की उपस्थिति में आज दिनांक 26.07.2021 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या नया 229 व पुराना 221 की कृषि भूमि खसरा संख्या 386 रकबा 0.09 है0, खसरा सं. 1082 रकबा 2.12 है0, 1096 रकबा 0.41 है0, खसरा सं. 1118 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.72 है0 वाके ग्राम व माल बोरदामाल, पटवार हल्का बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत .... ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 26/07/2021 को जारी की गई।

(मोहर)

उपखण्ड अधिकारी
के0 पाटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2021.08.02 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

(विनित कुमार सुखाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन